



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30042026-272176
CG-TL-E-30042026-272176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2064]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2064]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 27 अप्रैल, 2026

का.आ. 2137(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में तेनाली मंडल के पिनपाडु गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य— विजयवाड़ा-ओंगोल सेक्शन में तेनाली टीएसएस का निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी(भूमि अधिग्रहण), अर्थात् उप-कलक्टर, तेनाली, गुंटूर जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-कलक्टर, तेनाली, गुंटूर जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए)के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण :आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तेनाली मंडल के पिनपाडु गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – विजयवाडा-ऑंगोल सेक्शन में तेनाली टीएसएस के निर्माण हेतु.

गांव: पिनपाडु (अर्बन)

मंडल : तेनाली

जिला : गुंटूर

क्र. सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	टीएस सं.	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग मी.)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ सेंट)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति आर्द्र/शुष्क
1	तेनीलि	पिनपाडु (अर्बन)	593/4	101.17	0.025	पट्टा	आर्द्र
2			593/5ए	1942.491	0.48	पट्टा	आर्द्र
3			593/6सी	2023.43	0.50	पट्टा	आर्द्र
कुल				4067.09	1.005		

गांव: पिनपाडु(रूरल)

मंडल : तेनाली

जिला : गुंटूर

क्र. सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	एलपीएम सं.	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग मी.)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ सेंट)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति आर्द्र/शुष्क
1	तेनीलि	पिनपाडु (रूरल)	521	2023.00	0.50	पट्टा	आर्द्र
2			562	5989.00	1.48	पट्टा	आर्द्र
3			563	1052.00	0.26	पट्टा	आर्द्र
4			564	1052.00	0.26	पट्टा	आर्द्र
कुल				10,116.00	2.50		

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/TEL/20A]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 27th April, 2026

S.O. 2137(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project i.e “Construction of Tenali Traction Sub-Station in the Vijayawada-Ongole section for up-gradation of the Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet the 3000MT loading target” at Pinapadu Village, Tenali Mandal, Guntur District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Sub- Collector, Tenali, Guntur District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Sub- Collector, Tenali of Guntur District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: “Construction of Tenali Traction Sub-Station in the Vijayawada-Ongole section for up-gradation of the Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet the 3000MT loading target” in Guntur District in the state of Andhra Pradesh.

Village: Pinapadu(Urban)**Mandal: Tenali****District: Guntur**

Sl.No	Name of the Mandal	Name of the Village	TS.No	Tentative Area in (Sq.Mtrs)	Tentative Area in (Ac.cents)	Type of Land (Govt./ Private)	Nature of the land Wet/ Dry
1	Tenali	Pinapadu (Urban)	593/4	101.17	0.025	Patta	Wet
2			593/5A	1942.491	0.48	Patta	Wet
3			593/6C	2023.43	0.50	Patta	Wet
Total				4067.09	1.005		

Village: Pinapadu(Rural)**Mandal: Tenali****District: Guntur**

Sl.No	Name of the Mandal	Name of the Village	L.P.M. No	Tentative Area in (Sq.Mtrs)	Tentative Area in (Ac.cents)	Type of Land (Govt./ Private)	Nature of the land Wet/ Dry
1	Tenali	Pinapadu (Rural)	521	2023.00	0.50	Patta	Wet
2			562	5989.00	1.48	Patta	Wet
3			563	1052.00	0.26	Patta	Wet
4			564	1052.00	0.26	Patta	Wet
Total				10,116.00	2.50		

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/TEL/20A]
K. SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III